संoसंo–9 / आo–01–43 / 2011

# बिहार सरकार
# स्वास्थ्य विभाग

## संकल्प

यतः बिहार राज्यपाल को विश्वास करने का कारण है कि **डा0 अखिलेश गिरी, चि0 पदा0, अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, कठिया, सिकटी, अररिया** अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोप में वर्णित घोर कदाचार और अवज्ञा, सरकार के आदेश के उल्लघंन के दोषी हैं। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि:–

उक्त **डा0 अखिलेश गिरी ,** के विरूद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय।

**डा0 अखिलेश गिरी,** असैनिक सहायक शल्य चिकित्सक को इस संकल्प के अग्रसारण के एक पक्ष के अन्दर **चितरंजन** अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है । विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए **डा0 आर0 के0 सिंह सुधाकर, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना** को संचालन पदाधिकारी तथा उपस्थापन पदाधिकारी, **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2** होगें ।

**डा0 अखिलेश गिरी ,** को संचालन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वयं सुनवाई के लिए उपस्थित होने और अपनी ओर से साक्ष्यों की परीक्षा कराने के लिए इच्छुक हैं।

आरोप पत्र (अनुबंध) एवं साक्ष्य इसके साथ हीं निर्गत किया जा रहा है ।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि अनुबंध की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से**

**सरकार के अवर सचिव।**

ज्ञापांक : / स्वा0, पटना, दिनांक :

**प्रतिलिपिः** साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी **डा0 आर0 के0 सिंह सुधाकर, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना** को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जांच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

**सरकार के अवर सचिव।**

ज्ञापांक : / स्वा0, पटना, दिनांक :

**प्रतिलिपिः** साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति , **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2** को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**सरकार के अवर सचिव।**

ज्ञापांक 1188(9) / स्वा0, पटना, दिनांक : 2/11/2018

**प्रतिलिपिः** **डा0 अखिलेश गिरी, चि0 पदा0, अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, कठिया, सिकटी, अररिया** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः** आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

**सरकार के अवर सचिव।**

# अनुबंध

| | | |
|---|---|---|
| 1. नाम | – | डा0 अखिलेश गिरी, |
| 2. पदनाम | – | चिकित्सा पदाधिकारी, |
| 3. पदस्थापन स्थान | | अ0प्रा0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, ~~रामनगर, बेतिया सम्प्रति जिला~~ यक्ष्मा केन्द्र, गया |
| 4. वेतनमान | – | ................................ |
| 5. सेवानिवृति | – | ................................ |

## आरोप

आपके विरूद्ध आरोप है कि आप दिनांक 21.11.2002 से अब तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। आपकी अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि पॉच वर्षो से अधिक है तथा आपके विरूद्ध बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत सेवा से बर्खास्तगी का मामला बनता है।

आपका उपर्युक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता, अनियमितता एवं आदेश की अवहेलना का द्योतक है।

जिसके लिए आप दण्ड के भागी है।

(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

साक्ष्य तालिकाः–
1. प्रेस विज्ञप्ति संबंधी प्रेस कतरन।